न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील – राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009 धारा 194(12)
प्रकरण संख्या 242 / 2025 (GCMS : 2025/375)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डॉ. शालिनी नागपाल पत्नी श्री मोहित नागपाल निवासी 1/जी 30 [illegible] पथ, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

बनाम

नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा आयुक्त

06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजन कुक्कड की ओर से पूर्व में अपील खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उनके द्वारा राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनिमय 2020 जिसके अन्तर्गत प्रार्थिया के भूखण्ड का नक्शा स्वीकृत किया गया है, मौजूदा भवन रेखा व क्षेत्र के आसापस के स्वरूप, सैटबैक इत्यादि व ग्राउंड कवरेज का निर्धारण शर्त संख्या 5(2) के अनुसार आदेश दिये हेतु अपील पेश थी, जिसे प्रार्थिया आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनकी अपील खारिज की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थिया ने राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनिमय 2020 जिसके अन्तर्गत प्रार्थिया के भूखण्ड का नक्शा स्वीकृत किया गया है, मौजूदा भवन रेखा व क्षेत्र के आसापस के स्वरूप, भवन रेखा, सैटबैक इत्यादि व ग्राउंड कवरेज का निर्धारण शर्त संख्या 5(2) के अनुसार आदेश दिये जाने हेतु यह अपील राजस्थान म्यूनिस्पिल एक्ट 2009 की धारा 194(12) के तहत पेश की थी। **संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 30.03.2022 के अनुसार राजस्थान म्यूनिस्पिल एक्ट 2009 की धारा 194(12) के तहत अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार निदेशक / अतिरिक्त निदेशक / उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को है।** इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुनवाई हेतु रखी गई थी किन्तु अब अपीलार्थी के अधिवक्ता उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और वापिस लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। अतः इसी आधार पर यह अ[illegible] करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह [illegible] खारिज किया जाता **है।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे [illegible] **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:17 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर